न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कासौटिया आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–170 / 2024 (2024 / 432)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. राकेश कुमार चौधरी पुत्र सुखेदव राम चौधरी जाति जाट निवासी 86, आगोलाई, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर। 2. भल्लाराम पटेल पुत्र हरिंगराम जाति पटेल निवासी जे. एन. यूनिवर्सिटी के सामने, ग्राम डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव। 02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी एक की और से अधिवक्त श्री अनोपसिंह।

आदेश

दिनांक :– 06-8-2025

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर में खसरा संख्या 123 रकबा 2.1448 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार के काबिज है। उक्त कृषि भूमि कटाणी रास्ते से अन्दर की तरफ स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि एवं कटाणी रास्ते के बीच में राजकीय भूमि खसरा संख्या 125 आयी हुई स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा संख्या 123 में पहुंचने हेतु किसी प्रकार का कोई कटाणी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को कृषि कार्यो में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं कृषि कार्यो से वंचित भी रहना पड़ रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से निवेदन किया कि खसरा संख्या 125 की भूमि जेडीए जोधपुर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस कारण से प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु 30 फुट का रास्ता कटाण कर दिया जावे ताकि प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु किसी प्रकार की कोई कठिनाईयां नहीं होवें एंव आसानी से कृषि कार्य सम्पन्न कर सकें जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण को आसानी से कृषि कार्य सम्पन्न कर सकें जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीगण को सलाह दी गयी कि नियमानुसार आपके द्वारा यदि सक्षम स्तर पर आवेदन किया जावेगा तो रास्ते का आदेश होने पर रास्ता कटाण कर दिया जावेंगा। इस पर प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार यह प्रार्थना पत्र 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाने के लिये प्रस्तुत है।

इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को अपने कृषि कार्यो से वंचित होना पड़ रहा है तथा यह प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम है उक्त रास्ता कटाण होने से किसी प्रकार का रास्ते का विवाद नहीं रहेगा।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित नही रहना पड़ेगा। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता खसरा संख्या 125 में से कटाणी रास्ता तक 30 फुट चौड़ाई में चाहा गया हैं उसे ए से बी मार्क किया जाकर नजरी नक्शें के साथ पेश कर प्रार्थना पत्र के सलंग्न किया जा रहा है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अनोपसिंह सोलकी ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार झवंर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक को जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार झवंर के पत्रांक/पालना/कोर्ट/2025/144 दिनांक यथा हस्ताक्षर के द्वारा जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 123 मे आवागमन के रास्ते हेतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 125 में से नया रास्ता चाहा गया है। मौके व रिकार्ड का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 123 एवं कटाणी रास्ते के बीच राजकीय भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम खसरा नम्बर 125 किस्म गैर मुमकिन आगोर स्थित है। चुंकि किस्म गैर मुमकिन आगोर है जो जल भराव क्षैत्र के तहत प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है।

वकील प्रार्थी की बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झवंर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 123 मे आवागमन के रास्ते हेतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 125 में से नया रास्ता चाहा गया है। मौके व रिकार्ड का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 123 एवं कटाणी रास्ते के बीच राजकीय भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम खसरा नम्बर 125 किस्म गैर मुमकिन आगोर स्थित है। चुंकि किस्म गैर मुमकिन आगोर है जो जल भराव क्षैत्र के तहत प्रतिबंधित भूमियो की श्रेणी में आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाय जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कासौटिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी